न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः—2022/60 15/22 निर्णय दिनांक 10.01.2023

बउनवान

हुसैन मोहम्मद पुत्र मेहमुद उम्र 49 वर्ष जाति मुसलमान निवासी तालाब पाडा, बांरा तहसील बांरा जिला बांरा राज० ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, कनवास जिला कोटा राज० ।

अप्रार्थी

उपस्थित :—

वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार कनवास।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर०टी०एक्ट

बाबत चाहने रास्ता खेत का

निर्णय

प्रार्थी के द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत जर्ये एडवोकेट प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि —

1. यह कि प्रार्थी के एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खाता संख्या नई 389 के खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नं. 2165 / 1504 की रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टर स्थित है।

2. यह कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का रास्ता सदैव से ग्राम धूलेट में होकर खसरा नं. 1433 के यहां होकर खसरा नं. 1491 सिवायचक भूमि जिसमें आम रास्ता बना हुआ है, में होकर दक्षिण की ओर खसरा नं. 1494, खसरा नं. 1493 किस्म बारानी सोयम सिवायचक भूमि के पश्चिमी मेड से होकर आगे दक्षिण की ओर खसरा नं. 1492 किस्म बारानी सोयम सिवायचक भूमि में होता हुआ प्रार्थी के खाते के खेत खसरा नं. 1503 व खसरा नं. 2165/1504 में जाता है तथा यही रास्ता प्रार्थी का सदैव का प्रचलित रास्ता है तथा इसी से होकर प्रार्थी अपने खेत में ट्रेक्टर ट्रोली, बेलगाडी, कृषि उपकरण, फसल, चारा आदि लाता ले जाता रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज न होने से प्रार्थी के खेत में रिकार्डेड रास्ता नही है तथा इससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है।

3. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

4. यह कि प्रार्थी उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि अदा करने को तैयार है।
5. यह कि उक्त चाहा गया रास्ता सिवायचक भूमि में स्थित है। जिसे गै०मु० रास्ता दर्ज किया जाना न्यायहित में जरूरी है।
6. यह कि खसरा नं. 1491 में स्थित रास्ता सदैव का प्रचलित सार्वजनिक रास्ता है जो आगे के अन्य खेतो तक जाता है। जो वर्तमान में पूरा खुलासा है और चालू है।

7. यह कि प्रार्थी को यह कानूनन विधिक अधिकार हासिल है कि वह प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित आराजी में आने जाने ट्रेक्टर, ट्रोली, बेलगाडी, कृषि उपकरण, कम्माईण्ड मशीन, फसल, चारा आदि लाने ले जाने हेतु खसरा नं. 1491 के सार्वजनिक रास्ता से दक्षिण की ओर खसरा नं. 1494, 1493 के पश्चिमी में मेड से होता हुआ दक्षिण की ओर खसरा नं. 1492 की पूर्वी मेड से होता हुआ प्रार्थी के खेत तक 15 फुट चौडाई में प्राप्त करें व उसे राजस्व रेकार्ड में भी गै०मु० रास्ता दर्ज करवा लेवें।
8. यह कि वाद कारण अन्तिम मर्तबा दिनांक 29.03.2022 को प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी के खेत का रास्ता दिलवाने हेतु श्रीमान के कार्यालय में पेश करने व वहां से 251 (क) आर०टी०एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ ।
9. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम धूलेट (नया) तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र में पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकारी हासिल है।
10. यह कि यह प्रार्थना माननीय न्यायालय में अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क 2/– रूपेय पर पेश है।
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज० में खाता संख्या नई 389 के खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नं. 2165 /1504 की रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टर आराजी में आने जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बेलगाडी, कृषि उपकरण, कम्माईण्ड मशीन, फसल, चारा आदि लाने ले जाने हेतु खसरा नं. 1491 के सार्वजनिक रास्ता से दक्षिण की ओर खसरा नं. 1494, 1493 के पश्चिमी में मेड से होता हुआ दक्षिण की ओर खसरा नं. 1492 की पूर्वी मेड से होता हुआ सीधा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नं. 2165/1504 की रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टर आराजी तक 15 फुट चौडाई में दिया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में भी उसे गै०मु० रास्ता दर्ज किया जावे तथा मौके पर भी उसका चिन्हिकरण किया जावें तथा अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी प्रार्थी को दिलवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई पत्रावली पर अप्रार्थी कम 1 के असल अदम सम्मन अप्राप्त। पत्रावली पर तहसीलदार कनवास को पत्र दिनांक 14.12.2022 स मोका रिपोर्ट एवं रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि की मालयित की गणना प्रस्तुत करने हेतु निदेर्शित किया गया तहसीलदार कनवास के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व /2023/612 दिनांक 10.01.2023 से मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई तहसीलदार कनवास की रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार पेश की गई कि –

1. ग्राम धुलेट की आराजी ख0न0 1491 ग०मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड हैं। ख0न0 1491 के दक्षिण दिशा में ख०न० 1492 (सिवायचक) स्थित हैं। लेकिन उक्त ख0न0 पर उत्तरी दिशा में झाड–बबूल सघन उगे हुए हैं। ख0नं0 1492 की पूर्वी दिशा की ओर ख0न0 1494, ख0न0 1453, एवं ख0न0 1501 स्थित हैं। ख0न0 1494 में प्रार्थी द्वारा बताया गया कि यह प्रचलित रास्ता था। वस्तुस्थिति अनुसार भी ख0न0 1494 में रास्ता बना हुआ हैं। उसके आगे ख0न0 1493 व 1501 स्थित हैं, जो की पडत हैं। अतः मौका स्थिति अनुसार ख0न0 1494, 1493 व 1501 में से वादी को ख0न0 1503 की रकबा 1.24 है0 एवं ख0न0 2165/1504 रकबा 0.36 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.60 है0 भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना उचित हैं। उक्त तीनों खसरा नंबरान सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिनकी किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम एवं बारानी दोयम दर्ज हैं।

2. श्रीमान उक्त खसरा नंबरान 1494, 1493 एवं 1501 में से रास्ता दिया जा सकता हैं। मौके पर उक्त भूमि खाली पडी हुई हैं एवं प्रचलित रास्ता भी बना हुआ हैं।

3. वादी को दिये जाने वाले उक्त रास्ते की भूमि धुलेट–पनवाड स्टेट हाईवे से लगभग 490 मी की दूरी पर स्थित हैं। खसरा नंबरान 1494, 1493 एवं 1501 में से दिये जाने वाले रास्ते के लिए कुल रकबा 0.095 है० के लिए डीएलसी 782925/–है0 की दर से 74377.875 की दोगुना राशि 148755.75 रुपये हैं, पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार कनवास, भू0 अभिलेख निरीक्षक धूलेट व पटवारी धूलेट की रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सलंगन दस्तावेजात, तहसीलदार कनवास व भू अभिलेख निरीक्षक धूलेट व पटवार हल्का धूलेट की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज० में खाता संख्या नई 389 के खसरा नं. 1503 की रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नं. 2165/1504 की रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 1.60 हैक्टर आराजी में आने जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बेलगाडी, कृषि उपकरण, कम्माईण्ड मशीन, फसल, चारा आदि लाने ले जाने हेतु ख0न0 1491 गै०मु० रास्ता दर्ज रिकॉर्ड के दक्षिण दिशा में ख०न० 1492 (सिवायचक) के उत्तरी दिशा में झाड–बबूल सघन उगे होने से ख0नं0 1492 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित ख0न0 1494, ख0न0 1493, एवं ख0न0 1501 मे से रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि 1494 मे से 0.04 है0 व खसरा न0 1493 मे से 0.02 है0, खसरा न0 1501 मे से 0.025 है0

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

उत्तर से दक्षिण व 1501 में से 0.01 है0 दिशा पूर्व से पश्चिम कुल रकबा 0.095 है0 को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। खसरा नंबर न0 1494, 1493 एवं 1501 में से रास्ते के रूप में जाने वाला कुल रकबा 0.095 है० का मुआवजा राशि डीएलसी दर 7,82,925 रूाये प्रति हैक्टर की दर से 74377.875 रूप्ये की दोगुना राशि 148755.75/– रुपये सरकारी सम्पदाओ की बिक्री के राजकोष हेड 0029–00–105–01–00 में जर्ये चालान जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते है, मुआवजा राशि जमा राजकोष हो जाने के पश्चात ही राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। तथा खसरा न 1494 , 1493 व 1501 के रकबे में से रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि कम की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner